

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

अंसारी नगर ,नई दिल्ली-110029 Aņsari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated:- 1 5 JUN 2022

फ.स./No.F. 2-11/2021-स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के पद पर पदोन्नति। Subject:- Promotion to the post of Chief Technical Officer (Radiology) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 18.11.2021 को चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के पद हेतु विभागीय पदोन्नित समिति मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, श्रीमती सुषमा शर्मा, वरिष्ठ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) को पदोन्नित पद चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के पे मेटरिक्स लेवल-10 में पदोन्नित दी जाती है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 18th November 2021 and its acceptance by the Competent Authority, Smt. Sushma Sharma, Senior Technical Officer (Radiology) is promoted to the post of Chief Technical Officer (Radiology) in Pay Matrix Level-10 from the date he assumes the charge of the post of Chief Technical Officer (Radiology) at National Cancer Institute (NCI), Jhajjar.

उन्हें चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/बढ्सा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भतों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date he assumes the charge to the post of Chief Technical Officer (Radiology).

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाए किसी भी समय बिना नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory services failing which his services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वह इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ निर्धारित से तिथि की पाने वेतनवृद्धि अगली पर पद वर्तमान अथवा तिथि की करने पदग्रहण अंतर्गत के (1)22.आर. प्र वृति आश्वस्तित संशोधित/योजना प्रगति वृति आश्वस्तित उन्हें बशर्तें चुने विकल्प का करनेगति योजना के अन्तर्गत इस पदोन्नति से पहले कोई वितीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22 (1) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided he has not been granted financial upgradation under ACP/MACP Scheme, before this promotion.

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेगी। Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के पद पर पदोन्नति की सिफारिस एस .पी.एल.(C) No. 30621/2011 और 31288/2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे अपील (C) No. 28306/2017 या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी द्वारा कोई अन्य सपषटीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Chief Technical Officer (Radiology) is subject to outcome of the SLP (C) No.30621/2011 and 31288/2017, connected to appeal (C) No. 28306/2017 in the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

यदि वह इस कार्यालय के आदेश जारी होने के 07 दिनों के भीतर एन.सी.आई, झज्जर के लिए बनाई गई पदोन्नति पोस्ट पर एनसीआई, झज्जर में पदभार को ग्रहण करने से मना करते है, तो पदोन्नति और पदोन्नति आदेश को कैंसिल माना जाएगा। तदनुसार, इस विषय पर डी.ओ.पी.टी निर्देश के अनुसार उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नित या इस दौरान भविष्य में आने वाली अगली रिक्ति पर पदोन्नित से वंचित कर दिया जाएगा।

In case, if the fails to join at NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 07 working days from the issue of this Office Order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order is to be treated as cancelled / withdrawn. Accordingly, as per DoPT instruction on the subject he will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises whichever is later. (Rajender Singh / राजेन्द्र सिंह)

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer

श्रीमती सुषमा शर्मा / Smt. Sushma Sharma वरिष्ठ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी)/ Senior Technical Officer (Radiology) दवारा/Thr.:- - चीफ, सी.एन .सेन्टर / Chief, C.N. Centre

प्रतिलिपि/Copy to :-

प्रतिलिपिः

- 1. चीफ, सी.एन. सेन्टर / Chief, C.N. Centre
- 2. मुख्य विभागाध्यक्ष, एन.सी.आई., झज्जर/ Head, NCI, Jhajjar
- 3. प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.आई., झज्जर Admn. Officer(DO), NCI, Jhajjar
- 4. स्थापना अनुभाग, एन.सी.आई., झज्जर / Establishment Section(DO), NCI, Jhajjar
- 5. लेखा विभाग II & III, एन.सी.आई., झज्जर /Accounts Section II & III, NCI, Jhajjar
- 6. जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell
- 7. एस.सी.विभाग/एस.टी विभाग/सतर्कता विभाग/लीगल सेल SC/ST Cell/Vigilance Cell
- 8. डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबधित सहायक Dealing Assistant, Recruitment Cell
- 9 र्प्री. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website.

Sh. Sangeer Kr. | Suh Anteifa Saini
VijVillar